# प्रेस–विज्ञप्ति (संशोधित)

**राजस्व विभाग, उ0 प्र0**

## लेखपाल भर्ती परीक्षा–2015 कार्यालय जिलाधिकारी, बहराइच।

**जनपद का नाम–बहराइच** **परीक्षा का नाम : लेखपाल (राजस्व)**

विज्ञापन संख्या–4293/भूलेख–सात/लेखपाल सी0भर्ती–2015–16 दिनांक : 30 जून, 2015

**आवेदन पत्र स्वीकार (SUBMIT) किये जाने की अंतिम तिथि– 22-07-2015**

**परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि– 21-07-2015**

प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा लेखपाल के पद पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से निर्धारित प्रारूप पर आन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। लिखित परीक्षा दिनांक 30–08–2015 को किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा के समय तथा स्थल का उल्लेख प्रवेश पत्र पर उल्लिखित रहेगा, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा आन लाइन प्राप्त किया जा सकता है।

## रिक्तियों का विवरण

| क्रम | पदनाम | दिनांक 01-07-2015 को आयु | वेतनमान | कुल रिक्त पदों की संख्या | अनारक्षित | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ी जाति | पद हेतु शैक्षिक अर्हता | पद हेतु अधिमानी अर्हता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | लेखपाल | न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष | रु0 5200–20200 (ग्रेड पे–2000) | 118 | 68 | 20 | 02 | 28 | माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण। | 1– प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या 2– राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी"प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। |

1– लेखपाल पदों की भर्ती उ0 प्र0 लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित 2014 एवं समय–समय पर जारी किये गये शासनादेश एवं परिषदादेश के अनुसार लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा 80 अंक की तथा साक्षात्कार 20 अंक का होगा।

2– दिनांक 01.07.2015 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है साथ ही उक्त दिनांक को अभ्यथी की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक न हो। आयु सीमा के संबंध में उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली–1972 यथा संशोधित 2012 एवं वर्तमान में प्रभावी विभागों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार छूट प्रदान की जायेगी। रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के

आश्रित, उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों, उ0प्र0 समाज के विकलांगों तथा उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

3– ऑन–लाइन फार्म दिनांक 22–07–2015 तक जमा किये जा सकेगें। अनारक्षित (सामान्य) और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से रु0 300/– (+ बैंक प्रभार अतिरिक्त) तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को रु0 150/– (+ बैंक प्रभार अतिरिक्त) का अवेदन शुल्क ई–चालान के माध्यम से जिलाधिकारी के पक्ष में देय होगा, जिसका उल्लेख ऑन–लाइन आवेदन प्रपत्र पर किया जायेगा।

3– प्रदेश के सभी जनपदों में परिषद द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।

4– परीक्षा वस्तुनिष्ठ 80 अंक की तथा साक्षात्कार 20 अंक का हांगा। परीक्षा संबंधी जानकारी के संबंध में तिथि, समय और परीक्षा एवं साक्षात्कार के आयोजन स्थल उम्मीदवारों को ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा डाउनलोड किया जायेगा, जो कि परिषद की वेबसाइट http://bor.up.nic.in और जिले की वेबसाइट http://bahraich.nic.in पर उपलब्ध होगा।

6– ऑन–लाइन आवेदन का प्रारूप, आफ लाइन परीक्षा संबंधी निर्देश अन्य सामान्य निर्देश एवं परीक्षा संबंधी अन्य प्रासंगिक जानकारी व सम्पूर्ण विवरण परिषद की वेबसाइट http://bor.up.nic.in पर और जिले की वेबसाइट http://bahraich.nic.in पर उपलब्ध हो होगा।

7– लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के संबंध में पूर्व में विज्ञापन सं0 4379/भूलेख–सात/2015–16 दिनांक 16–06–2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क/फार्म स्वीकार (Submited) किये जा चुके हैं उन अभ्यर्थियों द्वारा पुनः परीक्षा शुल्क/फार्म नहीं भरे जायेंगे। उनका अभ्यर्थन इस नयी विज्ञप्ति के लिये भी मान्य होगा।

जिलाधिकारी/
अध्यक्ष चयन समिति,
बहराइच।